निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक C-145 / बा0वि0परि0 / पो0एवं0स्वा0 / 2021-22, दिनांक : 03 जून ~~मई~~, 2021

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः अनुपूरक पुष्टाहार योजना (एस0एन0पी0) के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2021, मई, 2021 एवं माह जून, 2021 हेतु टी0एच0आर0 के वितरण के सम्बन्ध में।

भारत सरकार के पत्र संख्या–सीडी–III–17–1 / 2021–सीडी.III(ई–90698), दिनांक 06 मई, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–2022 के प्रथम त्रैमास हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को डब्लू0बी0एन0पी0 के अन्तर्गत 60031.00 एम0टी0 गेहू एवं 55461.00 एम0टी0 चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या सी–117, दिनांक 21 मई, 2021 द्वारा 43630.76 एम0टी0 गेहू एवं 42288.17 एम0टी0 चावल खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 को आवंटित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ को पत्र निर्गत किया जा चुका है, निदेशालय के पत्र संख्या सी–118, दिनांक 21 मई, 2021 द्वारा 4297.01 एम0टी0 गेहूँ नैफेड, उ0प्र0 को आवंटित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ को पत्र निर्गत किया जा चुका है, जिसकी जनपदवार विस्तृत विवरण / सूचना आपको ई–मेल के माध्यम से दिनांक 21.05.2021 को प्रेषित की जा चुकी है। निदेशालय पत्र संख्या–सी–128 दिनांक 28.05.2021 द्वारा प्रबन्धक निदेशक, नैफेड को रिफाइन्ड फोर्टिफाइड(सोयाबीन) खाद्य तेल एवं चना दाल की आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया है, जिसकी प्रति आपको पृष्ठांकित है। भारत सरकार से 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी के लिए योजना–(एस0ए0जी0) के लिए अभी खाद्यान्न आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इनके सम्बन्ध में पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेगें।

प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं माह जून, 2021 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत टी0एच0आर0 वितरण के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते है :–

1. माह अप्रैल, मई एवं जून, 2021 में प्रथम त्रैमास हेतु निदेशालय पत्र संख्या–117, दिनांक 21 मई, 2021 द्वारा आवंटित 43630.76 एम0टी0 गेहूं एवं 42288.17 एम0टी0 चावल जनपद में निर्धारित आवंटन के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन कर वास्तविक लाभार्थियों को वितरित किया जायेगा।

2. माह अप्रैल, मई एवं जून, 2021 हेतु लाभार्थीवार प्रतिमाह वितरण किये जाने वाले टी0एच0आर0 की मात्रा निम्नवत् है :–

Category of Beneficiary	Take Home Ration			
	Wheat	Rice	Chana Daal	Refined Fortified (Soyabeen) Edible Oil
Children 06m to 03y	1.0 kg.	1.0 kg.	1.0 kg.	0.455 kg.
Children 03y to 06y	500 gm	500 gm	500 gm.	0.000
PW & LW	1.5 kg.	1.0 kg.	1.0 kg.	0.455 kg.
06m to 06y Severely Malnourished Children	1.5 kg.	1.5 kg.	2.0 kg.	0.455 kg.

3. नैफेड द्वारा जनपदों में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	लाभार्थी	गेहूँ दलिया (मात्रा एम0टी0 में)	चना दाल (मात्रा एम0टी0 में)	रिफाइन्ड फोर्टिफाइड (सोयाबीन) खाद्य तेल (मात्रा एम0टी0 में)
1.	ग्रामीण	--	39406.92	14923.48
2.	शहर	3960.38	3580.45	1375.18
	कुल योग:–	**3960.38**	**42987.37**	**16298.66**

4. ग्रामीण क्षेत्रों में नैफेड द्वारा निर्धारित पैकेजिंग में चना दाल एवं रिफाइन्ड फोर्टिफाइड(सोयाबीन) खाद्य तेल की आपूर्ति सीधे परियोजना कार्यालय पर की जायेगी। परियोजना कार्यालय से **SRLM** के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह सामग्री का शीघ्र उठान करते हुए वितरण हेतु ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री को प्राप्त कराएगें।

5. शहरी क्षेत्रों में नैफेड द्वारा फोर्टिफाइड गेहूँ दलिया, चना दाल एवं रिफाइन्ड फोर्टिफाइड(सोयाबीन) खाद्य तेल की आपूर्ति निर्धारित पैकेजिंग में सीधे आंगनबाड़ी केन्द्र तक की जायेगी।

6. **ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों को चावल एवं गेहूँ तथा शहरी क्षेत्र में केवल चावल का वितरण कोटेदार से लाभार्थियों को किया जाय। ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा लाभार्थी को प्रदत्त टोकन जिसमें लाभार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, वितरण की मात्रा, तिथि एवं समय का उल्लेख रहेगा, के आधार पर ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा अपने समक्ष उसका वितरण करवाया जाना है तथा ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री वितरण के समय लाभार्थियों/अभिभावकों के हस्ताक्षर केन्द्र की वितरण पंजिका में अंकित कराते हुए समस्त अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेगी। ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा वितरण की तिथि एवं समय की सूचना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जायेगी और वितरण के समय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी आमंत्रित किया जाय।**

7. वितरण से पूर्व लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाय तथा सभी लाभार्थियों के सत्यापन के उपरान्त ही वास्तविक लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित किया जाये। पूर्व माहों का खाद्यान्न यदि अवशेष रह गया है, तो उसका समयोजन करते हुए वितरण किया जाये।

8. वर्तमान में कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण अभी ऑगनवाड़ी केन्द्र बन्द है तथा पूर्व में निर्गत निर्देश के अनुसार लाभार्थियों को डोर–टू–डोर अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जायेगा।

9. प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रवार वितरण की सूचना Poshan Tracker पर अवश्य फीड की जाये।

10. नैफेड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के चालान को परियोजना कार्यालय पर सामग्री प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर स्टाक इन्ट्री करते हुए भुगतान की संस्तुति सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा परियोजनाओं से प्राप्त सामग्री के चालानों को

प्रतिहस्ताक्षरित व मुहर के साथ एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से निदेशालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

11. जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद में आपूर्ति निर्देश के सापेक्ष आपूर्तित मात्रा के वितरण की रिपोर्ट निदेशालय में प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें तथा आपूर्ति निर्देश के अनुसार प्राप्त अनुपूरक पोषाहार के सापेक्ष वितरण की मात्रा का प्रमाण पत्र वितरण समाप्ति के पश्चात उपलब्ध करायें।

12. एस0ओ0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर गठित समिति यथा–ग्राम निगरानी समिति, ब्लाक निगरानी समिति तथा जिला निगरानी समिति द्वारा टी0एच0आर0 की आपूर्ति, वितरण की सघन निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त के साथ ही जिलाधिकारी स्तर से भी वितरण का भौतिक सत्यापन हेतु ब्लाकवार टीमें अवश्य बनायी जाये।

13. वे परिस्थितियॉ जहॉ पर सम्बन्धित एस0एच0जी0 उठान करने से मना/विलम्ब करती है वहॉ पर इस समस्या को लिखित रूप से जिले के मुख्य विकास अधिकारी के संज्ञान में लाया जाय व समस्या का विधि सम्मत निदान कराया जाये।

14. वितरण हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्गत आधार नोटिफिकेशन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि परियोजना कार्यालय से नैफेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उपलब्ध करायी गयी सामग्री का उठान कर करते हुए ऑगनवाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराने एवं वितरण में सहयोग हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. शाखा प्रबन्धक, भारतीय कृषि सहकारी संघ मर्यादित (नैफेड), सीतापुर रोड, लखनऊ।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक